जैन कन्या इन्टर कालेज

नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001

प्रवेश/पुनः प्रवेश कक्षा

सैक्शन

प्रधानाचार्या

छात्रा का फोटो

क्र. सं. 17

छात्रा पंजी. सं.

प्रवेश प्रार्थना – पत्र

(छात्रा के माता/पिता/अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	
2. प्रार्थना पत्र देने वाले माता/पिता/अभिभावक/ पति का नाम और पूरा पता तथा छात्रा से सम्बन्ध	फोन नं.
3. छात्रा का नाम हिन्दी में छात्रा का नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)	
4. छात्रा के पिता का नाम छात्रा की माता का नाम छात्रा के पिता का व्यवसाय व पूरा पता व मासिक आय	फोन नं.
5. छात्रा के स्थानीय अभिभावक का नाम व पूरा पता तथा उससे सम्बन्ध	फोन नं.
6. उत्तर प्रदेश में छात्रा के निवास की अवधि छात्रा की राष्ट्रीयता	
7. छात्रा का धर्म और जाति यदि अनुसूचित जाति है तो लिखें कौन सी अनुसूचित जाति है	
8. अन्तिम विद्यालय का नाम जिसमें छात्रा ने इससे पूर्व शिक्षा पायी हो और स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की कितनी प्रतियां प्रस्तुत की है।	
9. जन्मतिथि	
10. क्या छात्रा ने कभी इस संस्था मे शिक्षा पायी है। यदि पायी हैं तब किस सन्, कक्षा व वर्ग में ?	
11. कक्षा जिसमें छात्रा को प्रवेश करना है।	

मैं संस्था के तथा शिक्षा संहिता में दिये गये शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

छात्रा का हस्ताक्षर **माता/पिता/अभिभावक/पति के हस्ताक्षर**

जब प्रविष्टि 9 न भरी गई हो तब निम्नलिखित प्रमाण पत्र (क) पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए परन्तु प्रमाण पत्र (ख) (ग) और (घ) प्रत्येक दशा मे अवश्य पूरे किये जाने चाहिए और उस समय हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। मैं एतद् प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे अभिरक्षित

(क) ने इससे पूर्व किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा नहीं पायी है।

(ख) का विवाह नहीं हुआ 20 को अपने विवाह के समय 18/16 वर्ष से कम आयु का/की/नहीं था/थी।

(ग) का उल्लेखित जन्म दिनांक ठीक है और प्रमाण पत्र नत्थी है।

(घ) के टीके लग चुके है टीके लगवाने के स्पष्ट चिन्ह है/शरीर पर चेचक हो चुकी है।

माता/पिता/अभिभावक/पति के हस्ताक्षर

टिप्पणी :-

1. जब तक छात्रा संस्था में शिक्षा पाते रहें, संस्था के अभिलेखों में छात्रा की आयु सम्बन्धी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
2. शिक्षा संस्था के प्रधान को वही जाति ठीक माननी चाहिये जो प्रवेश प्रार्थना पत्र में लिखी हो अथवा जिसको प्रवेश अथवा घोषणा के अनुसार ही प्रविष्ठियां करनी चाहिये।
3. जब माता/पिता/अभिभावक/पति के एक से अधिक पते हों तो वर्तमान पता लिखना चाहिये।

प्रवेश सम्बन्धी नियम :-

1. पूर्व संस्था का टी0सी0, मूलरूप से संलग्न करना अनिवार्य है।
2. पूर्व संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य है।
3. पूर्व संस्था के अंकपत्र की प्रमाणित फोटो स्टेट कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
4. कोई भी छात्रा जो दो वर्षो तक निरन्तर एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. अन्य विद्यालय की किसी अनुत्तीण छात्रा को विद्यालय मे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

विद्यालय में अनुशासन सम्बन्धी एवं अन्य सामान्य नियम :-

1. छात्राओं को प्रतिदिन निर्धारित वेशभूषा में ही विद्यालय आना होगा। छात्राओं को बिना निर्धारित वेशभूषा के कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति से छात्रा बिना प्रधानाचार्या की अनुमति के नहीं मिलेगी।
3. कोई भी छात्रा अनावश्यक रूप से विद्यालय के बरामदे मे नहीं घूमेगी।
4. कोई भी छात्रा साईकिल बरामदो में नहीं खड़ी करेगी। साईकिल स्टैण्ड पर ही, साईकिल खड़ी करेगी।
5. रिक्त चक्रों में छात्रायें मैदान या पुस्तकालय में बैठेगी।
6. मासिक टैस्ट अनिवार्य हैं यदि छात्रा रूग्णता के कारण मासिक परीक्षा में अनुत्तीण रहेगी तो उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा।
7. छात्रा विद्यालय की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगी।
8. पूर्ण अवकाश से पूर्व छात्राओं को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई छात्रा विद्यालय समय मे बिना प्रधानाचार्या की अनुमति के विद्यालय से बाहर जायेगी या जाने का प्रयास करेगी तो उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
10. प्रत्येक छात्रा को प्रवेश के समय 20 रू0 व प्रत्येक माह अपनी इच्छा से धनराशि संचायिका फण्ड में जमा करनी आवश्यक है, जो विद्यालय छोड़ने पर ब्याज सहित वापिस मिलेगी।
11. प्रत्येक छात्रा को विद्यालय समय से 5 मिनट पूर्व विद्यालय मे आना होगा।
12. प्रत्येक छात्रा के अभिभावक के लिये अध्यापक अभिभावक संघ की गोष्ठी मे आना अनिवार्य होगा।
13. कक्षा 11 में उन्ही छात्राओं को अंग्रेजी विषय दिया जायेगा जिनके कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय मे 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होगें।
14. माह जुलाई व जनवरी मे छात्रा के पहले 3 दिन निरन्तर अनुपस्थित रहने पर छात्रा का नाम विद्यालय पंजिका से काट दिया जायेगा। पुनः प्रवेश मिलना आवश्यक नहीं है।
15. प्रत्येक छात्रा के लिये प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना मे उपस्थित रहना आवश्यक है।
16. विद्यालय समय मे ग्रीष्मकाल मे प्रातः 7:30 से 12:45 तक व शीतकाल मे प्रातः 10:00 से 3:45 तक रहेगा। विद्यालय समय मे किसी भी छात्रा को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
17. छात्रा को कक्षा अध्यापिका के पास शुल्क दिवस को शुल्क समय पर अनिवार्य रूप से जमा कर देना चाहिये।
18. संस्था से अनुपस्थित रहने के लिये छात्राओं को कक्षा अध्यापिका के पास प्रार्थना-पत्र भेजना आवश्यक है, प्रार्थना पत्र मे अवकाश प्राप्ति का पूर्ण विवरण होना चाहिये और प्रार्थना पत्र पर संरक्षक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, अन्यथा अवकाश प्राप्ति की अनुमति नहीं दी जायेगी। 3 दिन से अधिक के लिये अस्वस्थता अवकाश प्राप्त करने के लिये छात्राओं को चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। 10 दिन तक कक्षा से अनुपस्थित पर छात्रा का नाम काट दिया जायेगा।
19. अनुसूचित जाति की छात्रा संस्था कार्यालय से आय व जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र का फार्म लेकर व उसकी पूर्ति करके उस फार्म को संस्था कार्यालय में 8 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जमा करके संस्था कार्यालय से शुल्क सम्बन्धी पर्ची लेकर उक्त पर्ची को कक्षा अध्यापिका के अवश्य ही जमा करा दें।
20. कक्षा 9 में गणित उन्ही छात्राओं को दिया जायेगा जिनके कक्षा 8 में गणित विषय में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होंगे।

मैं संस्था के तथा शिक्षा संहिता/मेन्युअल में दिये गये शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करने के लिये सहमत हूँ।

छात्रा के हस्ताक्षर

माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

शुल्क प्राप्त किया
कक्षा-अध्यापिका के हस्ताक्षर